समाहरणालय, जमुई
(जिला कल्याण कार्यालय)

निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञापन सं0– 02 / 19–20 दिनांक– 30-05-19

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित अनु0जनजाति बालक आवासीय विद्यालय, बामदह, चकाई तथा अनु0जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, इन्दपै, जमुई के छात्रावासी छात्र/छात्राओं हेतु मेस संचालन के लिए वर्ष 2019–20 के लिए निविदा आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक संस्थान/स्वयंसेवी संस्था उपर्युक्त दोनो विद्यालयों के लिए दिनांक 25.06.2019 तक पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक सीलबंद लिफाफा में निविदा जिला कल्याण कार्यालय, जमुई में समर्पित कर सकते है।

2. निविदाकर्त्ता को मो0– 25000/–रूपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई के पक्ष में भुगतेय हो। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि–25.06.2019 को शाम 04 बजे तक होगी।

3. विभाग द्वारा निर्धारित मीनू अनुसार भोजन (जलपान सहित) प्रति छात्र/छात्रा वर्ग 01 से 06 के लिए मासिक– 1210/– एवं वर्ग 06 से 12 तक के लिए 1610 रूपये अधिक्तम निर्धारित है।

4. उप विकास आयुक्त, जमुई के अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा दिनांक 26.06.2019 को अपराह्न 3:00 बजे उप विकास आयुक्त के वेशम में खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थिति रहेंगें।

❖ **निविदा की शर्ते–**

- तकनीकि एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबन्द/मुहरबन्द लिफाफें में ली जाएगी जिसे पुनः एक सीलबन्द लिफाफे में दिया जाएगा।
- तकनीकि निविदा के साथ पैन नम्बर, अद्यतन आयकर विवरणी, जी0एस0टी0 (वस्तु एवं सेवाकर) निबंधन प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्यक्षेत्र का अनुभव प्रमाण पत्र, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र (मूल में) देना होगा कि किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया है।
- तकनीकि निविदा के साथ जमानत राशि 25,000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

- कोई भी निविदा या दावा जमुई जिला के न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा। विषेश जानकारी के लिए जिला कल्याण पदधिकारी, जमुई से सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत विवरणी **https://jamui.nic.in** देखा जा सकता है।
- अपरिहार्य कारणवश भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
- निविदा में सफल उम्मीदवार को मेस संचालन हेतु सरकारी प्रावधान अनुसार एक एकरारनामा करना होगा साथ ही उन्हें रसोई एवं मेस संचालन हेतु अन्य कर्मी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- बिना कारण बताए निविदा को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार उप विकास आयुक्त–सह–क्रय समिति के अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।
- निविदा में सफल होने वाले उम्मीदवार को जमानत के रूप में प्रति विद्यालय Performance Security 25000/–(पचीस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई के पक्ष में एकरारनामा के समय जमा करना होगा जो अनुबंध के सफल संचालन/समाप्ति के उपरांत उम्मीदवार को वापस कर दी जायेगी।
- समान्ततः निविदा के सफल उम्मीदवार के साथ एक वित्त वर्ष सत्र तक के लिए मेस संचालन का एकरारनामा किया जायेगा। यह एकरारनामा अगले सत्र तक के लिए तभी नवीकृत किया जा सकेगा जब आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मेस संचालित अवधि में कोई प्रभावित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ हो।

उप विकास आयुक्त,
जमुई।